भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1719

उत्तर देने की तारीख-10/03/2025

स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि

1719. **श्री हनुमान बेनीवाल:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूडीआईएसई की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान लाखों स्कूली छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं;
(ख) यदि हां, तो वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने स्कूल में निःशुल्क शिक्षा और आरटीई के प्रावधानों के बावजूद छात्रों के स्कूल छोड़ने के कारणों पर कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ.) इस संबंध में सरकार द्वारा व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्कूली शिक्षा के संकेतकों संबंधी डेटा अभिलिखित करने हेतु शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़+) तैयार की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) की सिफारिशों के आधार पर, वर्ष 2022-23 से यूडाइज़+ को पुन: सक्रिय किया गया है, ताकि व्यक्तिगत छात्र-वार डेटा एकत्र किया जा सके और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को ट्रेक करने और उनकी निगरानी करने तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिगम परिणामों की निगरानी के लिए विशिष्ट संख्या के साथ छात्र रजिस्ट्री बनाई जा सके। यूडाइज़+ के

अनुसार, वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए अभिलिखित छात्रों की संख्या क्रमशः 25,17,91,722 और 24,80,45,828 है।

(घ) और (ङ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के क्षेत्राधिकार में हैं। केन्द्र सरकार समग्र शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सरकारी स्कूलों में स्कूल छोड़ने की दर को कम करने और नामांकन बढ़ाने हेतु विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जिनमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों को खोलना/उन्हें सुदृढ़ करना, स्कूल अवसंरचना को सुदृढ़ करना, कक्षा 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना, स्तरोन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय नामक आवासीय विद्यालय/छात्रावास की स्थापना, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें और नि:शुल्क वर्दी, परिवहन/ मार्गरक्षण सुविधा आदि प्रदान करना शामिल है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सहायक सामग्री और उपकरणों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, समग्र शिक्षा के तहत, वर्ष 2024-25 में अब तक पीएफएमएस के अनुसार राज्य का हिस्सा सहित व्यय 4070051.73 लाख रुपये है।

******